

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpsamb.gov.in

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र./नियमन/आयातित तुअर/CM Monit-A/2024/1684

भोपाल, दिनांक 24/07/2025

प्रति,

1. संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय(समस्त)।
2. सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति(समस्त)।

विषय - आयातित दलहन "तुअर" पर मंडी फीस के भुगतान पर पूर्णतः छूट के संबंध में।

संदर्भ - मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 जून 2025 के संबंध में।

विषय संदर्भ में, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचित क्रमांक-AGR-18-0024-2025-Sec-2-चौदह-(AGR) (481813) दिनांक 23 जून 2025 से राज्य सरकार के द्वारा, अधिसूचित कृषि उपज तुअर, जो कि राज्य के बाहर से (आयातित) मंडी क्षेत्र में स्थापित दाल मिलों में प्रसंस्करण हेतु लाई गई हो, पर मण्डी अधिनियम के अधीन देय मण्डी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है। मण्डी फीस के भुगतान से यह छूट उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील है। राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

2. अधिसूचित कृषि उपज तुअर (आयातित) पर मण्डी अधिनियम के अधीन देय मण्डी फीस के भुगतान से छूट दिए जाने के क्रम, नियम आवश्यकताओं की पूर्ति कराई जाए-

- (1) स्थापित दाल मिलों के उपयोग के लिए राज्य के बाहर से प्रसंस्करण करने के लिए, राज्य के किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई उक्त अधिसूचित कृषि उपज तुअर के आयात के प्रमाण स्वरूप, दस्तावेज - (i) क्रय बिल, (ii) वेब्रिज पर्ची, (iii) ट्रासपोर्ट पर्ची एवं (iv) अन्य राज्य में मंडी शुल्क जमा का प्रमाण (यदि उपलब्ध हो) मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (2) राज्य के बाहर से क्रय कर लाई गई उक्त अधिसूचित कृषि उपज तुअर का उपयोग प्रसंस्करणकर्ता द्वारा केवल स्वयं के स्थापित दाल मिलों में प्रसंस्करण के लिए ही किया जा सकेगा, अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। राज्य

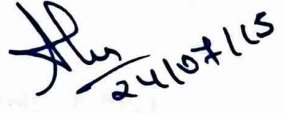
के बाहर से लाई गई उक्त कृषि उपज तुअर के क्रय एवं प्रसंस्करण में किये गये उपयोग की जानकारी ई अनुज्ञा पोर्टल पर सदैव अपडेट रखना होगा तथा प्रसंस्कृत उत्पाद के विक्रय एवं भण्डारण संबंधी मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित प्रत्येक जानकारी, मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(3) यदि यह पाया जाता है कि दाल मिलर्स द्वारा राज्य के बाहर से स्वयं के स्थापित दाल मिलों में प्रसंस्करण के उपयोग के लिये लाई गई अधिसूचित कृषि उपज तुअर का उपयोग दाल मिलों में प्रसंस्करण में ना कर अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन में किया जाता है तो ऐसी स्थिति में मंडी अधिनियम के अधीन मंडी फीस से दी गई उक्त छूट संबंधित दाल मिलर्स को प्राप्त नहीं होगी और ऐसे उल्लंघनकर्ता से मंडी अधिनियम की धारा 19 के उपबंधों के अधीन देय मण्डी फीस उद्ग्रहित तथा वसूल की जायेगी।

3. यह पूर्णतः स्पष्ट है कि, निराश्रित शुल्क पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। अतः निराश्रित उद्ग्रहण सुनिश्चित किया जाए।

4. उक्त आवश्यकताओं के संबंध में आपके मंडी क्षेत्र में कार्यरत दाल मिलर्स को अनिवार्यतः अवगत कराया जाए एवं पालन कराया जाए।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

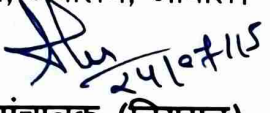

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./नियमन/आयातित तुअर/CM Monit-A/2024/1685

भोपाल, दिनांक 24 /07/2025

प्रतिलिपि :-

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।


संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 जून 2025-आषाढ़ 2, शक 1947

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2025

क्र.-AGR-18-0024-2025-Sec-2-चौदह (AGR) (481813).- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित कृषि उपज तुअर जो कि राज्य के बाहर से (आयातित) मंडी क्षेत्र में स्थापित दाल मिलों में प्रसंस्करण हेतु लाई गई हो, पर उक्त अधिनियम के अधीन देय मंडी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

मंडी फीस के भुगतान से यह छूट इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश "राजपत्र" में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2025

क्र.-AGR-18-0024-2025-Sec-2-चौदह (AGR) (481813)-1796.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 23 जून 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd June 2025

No. AGR-18-0024-2025-Sec-2-XIV(AGR) (481813).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, exempt payment of whole market fee payable under the said Adhiniyam on the notified agricultural produce of Tuar brought from out of the State (imported) for processing in the Dal Mills established in the market area.

This exemption from payment of market fee shall be with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette till further order.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG SAXENA, Dy. Secy.